



आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा

डॉ. करतार सिंह

प्रोफेसर

शिक्षक प्रशिक्षण एवं निरौपचारिक शिक्षा विभाग (आईएएसई), शिक्षा संकाय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली.

सार:

भारत के विकास में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आयातपर निर्भरता को कम करना ही नहीं है; बल्कि उत्पादन क्षमता, नवाचार, तकनीकी क्षमता और कुशल मानव पूंजी के माध्यम से दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्वावलंबन स्थापित करना है। शिक्षा आत्मनिर्भरता की आधारशिला है, शिक्षा ही वह माध्यम है जो मानव संसाधन को उत्पादक, और उद्यमशील शक्ति में परिवर्तित करती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कौशलों का विकास करते हुए उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करती है। अर्जित कौशलों और योग्यताओं के आधार पर ही व्यक्ति रोजगार पाने में सफल हो पाता है। जब व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त नहीं होता, तब यह स्थिति निजी स्तर के साथ-साथ किसी राष्ट्र के विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। यह अध्ययन शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण, नवाचार संवर्धन, उद्यमिता विकास और सामाजिक समावेशन के साधनों के रूप में स्थापित करता है। आत्मनिर्भरता और विकास के लिए शिक्षा को एक नीति उपकरण के रूप में ही नहीं बल्कि बहुस्तरीय कौशल एवं रोजगार उन्मुख पहलुओं के साथ समन्वित रणनीति के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रस्तुत लेख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाता है जो सार्वजनिक नीतिगत सुधारों की समीक्षा कर कुछ सुझावों को प्रस्तुत करता है। इस लेख में आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा की संरचनात्मक, नीतिगत और आर्थिक भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस लेख में यह जांचा गया है कि किस प्रकार शिक्षा प्रणाली मानव पूंजी, नवाचार और उत्पादक क्षमता के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सुदृढ़ कर सकती है। इस लेख में वर्णित है कि जब किसी देश में शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकता और वैश्विक मानकों के साथ नवाचार उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाती है, तब वह देश दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकता है।

मुख्य शब्द: शिक्षा, आत्मनिर्भर, शिक्षित, बेरोजगारी, कौशल, प्रशिक्षण, रोजगार

प्रस्तावना : भारत एक कृषि प्रधान देश है, वर्ष 2025-26 के आँकड़ों के अनुसार भारत में 46 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, परिणामस्वरूप लोगों का जीवन स्तर निम्न था। बुनियादी ढांचा कमजोर था। तकनीकी



का स्तर परम्परागत था व अन्य देशों पर निर्भर था, उस समय कृषि भारत में एक मुख्य व्यवसाय थी और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान व स्वावलंबी थी। अर्थात् आवश्यकताएँ सीमित थी जो घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती थी। आजीविका के लिए ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन अत्यंत सीमित था। भारत एक पिछड़ा हुआ देश था जिसकी गिनती विकासशील देशों में होती थी। वर्ष 1950-51 में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है।

उस समय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी जैसे- कृषि क्षेत्र में, आधुनिकता, औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, आधारिक ढांचे का विकास, शहरीकरण, तकनीकी सुधार, खाद्य सुरक्षा आदि। इन सभी से यह सिद्ध होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की तरफ बढ़ना चाहती थी।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन की व्यवस्था को अपनाया गया और वर्ष 1950-51 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यपूर्ण कार्यप्रणाली को अपनाया गया। इन प्रमुख उद्देश्यों में कृषि में सुधार, औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण आदि प्रमुख रहे थे। अब तक की चर्चा से हम यह समझ पायें हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर विकास की प्रक्रिया निरंतर है। मुख्य तथ्य यह है कि इस विकास की प्रक्रिया में भारत एक आत्मनिर्भर देश बने यह एक मुख्य उद्देश्य रहा है।

वर्तमान समय में भारत की आर्थिक विकास की गति तीव्र है, वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत है। देश एक विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत वर्तमान समय में एक संकल्प है, जिसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग सभी क्षेत्रों में सराहनीय सुधार किये जा रहे हैं। देश की आत्मनिर्भरता विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष एक उपलब्धि प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत लेख 'आत्मनिर्भर भारत के लिये शिक्षा' में महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ, आत्मनिर्भर भारत के घटक, शिक्षा की भूमिका, और सार्वजनिक प्रयासों पर विवरण प्रस्तुत किया गया है।

आत्मनिर्भरता की आवश्यकत आधुनिक समय में आत्मनिर्भर होने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ-साथ देश का आर्थिक विकास होता है। इस तथ्य को नीचे दिये गये चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है—





वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजटआंकड़ों के अनुसार पूंजीगत ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 56.1 प्रतिशत था, जो वर्ष 2026-27 के बजट में घटकर 55.6 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों में गिरावट कम है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। खाद्यान के साथ-साथ ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है परन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भारत का लक्ष्य है। यहाँ ये कहना भी उचित होगा की आत्मनिर्भरता का तात्पर्य बंद अर्थव्यवस्था से नहीं है, परन्तु आयातों पर अत्याधिक निर्भरता को कम करना है।

आत्मनिर्भर भारत एक परिचय

मई, 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारम्भ किया था। जिसका लक्ष्य देश और उसके नागरिकों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस अभियान के निम्नलिखित 5 स्तंभ हैं-

- **अर्थव्यवस्था:** धीमी गति से परिवर्तन के स्थान पर परिमाणात्मक उछाल है
- **आधारभूत सुविधाएँ:** आधुनिक भारत को प्रदर्शित करती हुई
- **प्रणाली:** तकनीकी आधारित व्यवस्था
- **गतिशील जनसंख्या:** विस्तृत प्रजातंत्र और उसकी गतिशील जनसंख्या
- **माँग:माँग और पूर्ति** की शक्तियों का पूर्ण उपयोग

आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य:

- भारत को एक वैश्विक आपूर्ति प्रणाली में विकसित करना।
- निजी क्षेत्र की क्षमताओं और संभावनाओं पर सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करना।
- भारतीय उत्पादों के लिए एक अच्छी जन शक्ति को स्थापित करना।
- वैश्विक बाजारों में प्रवेश करके कृषि, वस्त्र और आभूषण उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।
- बजट के प्रावधानों की सहायता से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्तता सुनिश्चित करना, जैसे रक्षा, कृषि-उद्योग, वृद्धि, व्यापार, स्वस्थ आधारित संरचना आदि।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं-आधारभूत सुविधाएँ, डिजिटल पहुँच, युवा उद्यमशीलता स्टार्टअप, क्षेत्रीय सुधार, क्षमतायुक्त मानवीय संसाधन, वोकल फॉर लोकल, सहयोगपूर्ण प्रयास, भारत में निर्मित और अन्य देशों को योगदान।

आत्मनिर्भरता और शिक्षा

उपयुक्त कार्यप्रणाली में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कौशलों और प्रशिक्षण के द्वारा मानव संसाधन का विकास करना आवश्यक माना गया है। इससे रोजगार चुनने के नए-नए विकल्प सामने आयेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक समता, प्रादेशिक एवं लैंगिक समानता, तकनीकी, डिजिटलनवाचार आदि आवश्यक पहलू हैं। इससे कार्यबल में वृद्धि होगी इसके साथ-साथ वैक्तिक, सामाजिक, तकनीकी विकास होगा जिससे आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य तथ्य

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत केलोग और सरकार संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, परन्तु इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।



- **शिक्षित बेरोजगारी:** विश्व के विकासशील देशों में यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है, भारत भी इस समस्या से ग्रस्त है। एन.एस.एस.ओ (NSSO) के 79वें राउंड (2022-23) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में दिसंबर 2023 में बेरोजगारी दर 3.1 प्रतिशत (ग्रामीण और शहरी) थी जो दिसंबर 2024 में 3.2 प्रतिशत है।
- **निर्धनता:** विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत में 2010-11 के अनुसार 21.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी।
- **ग्रामीण प्रधान समाज:** विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या का निवास ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। भारत में जनसंख्या का दो तिहाई हिस्सा भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। औद्योगीकरण और विकास की तीव्र गति को प्राप्त करने के लिए शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति तीव्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता अधिक पायी जाती है, लेकिन वहां पर भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। रोजगार प्राप्ति और बेहतर शिक्षा के लिए लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास हो रहे हैं।
- **विदेशों के लिए स्थानांतरण :** भारत की शिक्षित जनसंख्या विदेशों में विशेषज्ञता प्राप्ति और बेहतर जीवनशैली की तलाश में स्थानांतरित हो रही है। विकासशील देशों में लोग शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बेहतर रोजगार प्राप्ति के लिए विदेशों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो देश के आर्थिक विकास को बाधित करते हैं। वर्तमान समय में भारत भी इस समस्या से ग्रस्त है और आर्थिक दुष्प्रभावों को झेल रहा है।

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा की भूमिका

कौशल और प्रशिक्षण के विकास के साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक अमूल्य बदलाव की दिशा प्रस्तुत करती है। यह नीति शिक्षा में सभी क्षेत्रों में आधुनिक नवाचारों, कौशलों और एक नए भारत की दिशा प्रदान करती है।

मार्च 2024 में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 57 थी, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 482, राज्य निजी विश्वविद्यालय 478 और सम विश्वविद्यालयों की संख्या 136 थी। इन आंकड़ों से शिक्षा के प्रसार का लक्ष्य प्रदर्शित होता है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक लाभदायक कदम है।

यह नीति स्कूल शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करती है, जहाँ पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) के अंतर्गत 3 वर्ष के बच्चों को आधारभूत शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है और माध्यमिक, मिडिल स्तर को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाता है।

आत्मनिर्भरता हेतु सार्वजनिक प्रयास

वर्ष 2020 से ही भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए तीव्र गति से प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विशेष बल दिया गया। आत्मनिर्भर भारत एक संकल्प है, समयबद्ध प्रक्रिया है, योजनाबद्ध तरीका है। जिसके लिए सार्वजनिक जनसंख्या की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। विगत वर्षों में सरकार के इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है-

- कौशल भारत अभियान (2015):** यह मिशन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौशलों का विकास व पूर्व कौशल में वृद्धि, प्रशिक्षण, नवाचार, नवपरिवर्तन, नए रोजगार के अवसरों का सृजन कर करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाना शामिल है जिससे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का निर्माण संभव हो सके। इस मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं-



- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:** इसके अंतर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र:** यह सम्पूर्ण भारत में प्रशिक्षण की गुणवत्ता लाने के लिए खोले गए हैं।
- **जन शिक्षण संस्थान:** इसका उद्देश्य निरक्षर और ग्रामीण जनसंख्या को कौशल प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री YUVA युवा योजना:** इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- **डिजिटल कौशल भारत:** इसका उद्देश्य सतत अधिगम और रोजगार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों को लागू करना है।
- **PM विश्वकर्मा योजना:** यह पारंपरिक कारीगरों के कौशल को आधुनिक बनाने और वैश्विक बाजार में लाने के लिए लाई गई है। इससे उनका निरंतर जीविकोपार्जन सुनिश्चित होगा।

ii. VB-G RAM G Act (2025): यह भारत सरकार का रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। यह अभियान 125 दिनों के रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवारों को देती है। इस कदम से ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके साथ-साथ उनके जीवन में आत्मविश्वास पैदा होगा जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। इस अभियान की मुख्य विशेषता है कि इससे ग्राम पंचायतों में सहभागिता के साथ नियोजन करने, तकनीकी जानकारी रखने आदि जैसी कुशलताएँ विकसित होंगी। इस अभियान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक सुविधाएँ विकसित होंगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं :

जीवनयापन को सुरक्षा प्रदान करना

विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ

विकास के लिए एकजुट होना

ग्रामपंचायत के कार्यों, सामाजिक रेखांकन और डिजिटल पोर्टल में पारदर्शिता लाना

समृद्धि के लिए स्थिर संपत्तियों का सृजन/निर्माण

आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक तत्व और शिक्षा का महत्व समझने के पश्चात यह तथ्य प्रस्तुत करना उचित होगा कि शिक्षा द्वारा कौशलों का निर्माण होता है जो रोजगार के सृजन और सतत अवसरों में वृद्धि करते हैं। रोजगार प्राप्ति से निरंतर आजीविका सुनिश्चित होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

उपयुक्त सार्वजनिक प्रयासों को जानने से यह ज्ञात होता है कि इससे रोजगार प्राप्त और रोजगार की तलाश में लगे हुए व्यक्तियों को एक नयी गति मिलेगी जो अधिक कुशल और भारत में रोजगार के लिए जनशक्ति का निर्माण करेंगे।

आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

1. **ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती हुई तस्वीर:** ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना, कौशलप्रयोगशालाएं और स्थानीय उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण विकसित किया जाना चाहिए। कृषि एवं उससे संबंधित आधारित तकनीक का विकास व विस्तार किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प को पाठ्यचर्या से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर



सामुदायिक शिक्षा एवं कौशल केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ विद्यार्थी स्थानीय कौशल व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इन सभी के द्वारा ग्रामीण युवा अपने क्षेत्र में रोजगार और उद्यम को बढ़ा सकते हैं और शहरी स्थानांतरण को कम किया जा सकता है।

2. **निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई विशेषज्ञता:** अक्सर यह देखा गया है कि निजी क्षेत्र अपने लाभ के ले तकनीकी दक्षता और शोध कार्य पर अत्यधिक बल देते हैं। अगर निजी लाभ को सीमित करके शिक्षा प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए तो उद्योग-शिक्षा साझेदारी को सुदृढ़ किया जा सकता है। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और इंटरशिप कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य अनुभव दिया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों का कौशल व प्रशिक्षण बढ़ेगा और युवाओं में कौशल-असंगति कम होगी। निजी क्षेत्रों की विशेषज्ञता से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जिससे आत्मनिर्भरता को बल मिला है।
3. **तकनीकी शिक्षा का विकास:** भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विद्यालय स्तर से ही स्टेम (STEM) आधारित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में सुझाए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग, रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान समय की जरूरतों को पूर्ण किया जा सके। विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित तकनीकी परियोजनाओं को अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे तकनीकी नवाचार द्वारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा।
4. **क्षेत्रीय संसाधन आधारित पाठ्यचर्या:** भारत के प्रत्येक राज्य और जिले की अपनी एक आर्थिक संरचना है। पाठ्यचर्या में स्थानीय उद्योगों, पर्यटन, हस्तशिल्प, कलाओं और कृषि व संबद्ध गतिविधियों का समावेश किया जाना चाहिए, ऐसा करने से विद्यार्थी अपने स्थानीय संसाधनों को पहचानेंगे व उद्यम स्थापित करने के लिए भविष्य में प्रेरित होंगे और अपने स्थानीय उद्योगों के प्रति संवेदनशील व सजग बनेंगे।
5. **हरित कौशल का पाठ्यचर्या में समावेशन:** स्कूली स्तर पर ग्रीन स्किल्स को पाठ्यचर्या का भाग बनाना चाहिये जिससे बच्चे पर्यावरणीय सन्तुलन, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, सतत कृषि और हरित प्रौद्योगिकी के बारे में सीख सकें। विश्वविद्यालय में ग्रीन स्टार्टअप इन्क्यूबेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक व निजी भागीदारी के माध्यम से हरित प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा करने से नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत कृषि जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
6. **वैश्विक कौशल आधारित आत्मनिर्भर शिक्षा:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखनीय कौशल जैसे डिजिटल दक्षता, आलोचनात्मक चिंतन, अंतर-सांस्कृतिक समझ को आत्मनिर्भर भारत की रणनीति से जोड़ना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्कूलों का पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान, क्षेत्रीय कौशलों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी होना चाहिए जैसे कि बहुभाषिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और वैश्विक कौशलों आधारित अधिगम जिसके द्वारा वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सके। ऐसा करने से विद्यार्थी स्थानीय संसाधनों और आवश्यकताओं को समझते हुए वैश्विक बाजार, तकनीकी परिवर्तनों और वैश्विक मांगों के अनुरूप अपने अंदर कौशल को विकसित कर सकेंगे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक सहभागिता के साथ सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सारांश

प्रस्तुत लेख के अध्ययन के उपरांत हमने यह पाया कि भारतीय शिक्षित युवाओं में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है, जिसका अर्थव्यवस्था व व्यक्ति के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को जानकर यह पता चलता है कि शिक्षा न केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि शिक्षा अर्थव्यवस्था को रोजगार अवसरों से जोड़ती है।

वर्तमान समय में बहुत से सार्वजनिक प्रयासों द्वारा शिक्षा को तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जो शिक्षा को सशक्तिकरण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) का उद्देश्य है, जो सामान्य शिक्षा को तकनीक, भारतीय



ज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सहभागिता, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ती है, जिसके फलस्वरूप भारतीय युवा अपने कौशल के अनुरूप रोजगार में सम्मिलित हो सकेंगे।

आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शैक्षिक सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ देश के प्रबंधन अथवा नियोजन व्यवस्था को देश की आवश्यकता के साथ आत्मनिर्भर योजना के साथ अपना मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*.
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2013). *राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF)*.
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2025). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25*.
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. (2024). *यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*.
- भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2024). *राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 79वाँ दौर रिपोर्ट 2022-23*.

Cite this Article:

डॉ. करतार सिंह, "आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.178-184



This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.



Manifestation Of Perfection



CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. करतार सिंह

For publication of Research Paper title

आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact
Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief



Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at: <https://theresearchdialogue.com/>